सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 369 राँची, गुरुवार, 15 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2018

कृपया पढ़ें :-

1. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1530, दिनांक 26 मार्च, 2015, पत्रांक-5936, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 एवं पत्रांक-3827, दिनांक 4 सितम्बर, 2017
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक- 4188, दिनांक 8 मई, 2015, पत्रांक-5983, दिनांक 7 जुलाई, 2015, संकल्प सं०-564, दिनांक 22 जनवरी, 2016, पत्रांक-6846, दिनांक 6 जून, 2017 एवं पत्रांक-10866, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक- 508, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-20/2015 का.- 589-- श्री विनोद कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-568/03), तत्कालीन प्रभारी उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल-सह-उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1530, दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री झा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1. सरकारी नियमों की उपेक्षा करते हुए अपने पद की सक्षमता से बाहर जाकर विभाग से बिना स्वीकृति लिये श्री वीरेन्द्र कुमार, मुहर्रिर राजस्व प्रमंडल, राँची को कुल 1772 दिनों (एक हजार सात सौ बहत्तर) दिनों के अनधिकृत/ अनियमित अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन की स्वीकृति देकर कुल 7,09,680/- रूपये का अनियमित भुगतान किया गया ।

आरोप सं०-2. श्री वीरेन्द्र कुमार, मुहर्रिर को उपरोक्त अवधि को विनियमित करते हुए अव्यवहृत अवकाश में पूर्ण गणना कर 2,91,540/- रूपये का अनियमित भुगतान किया गया ।

आरोप सं०-3. श्री मनोज कुमार चौधरी, तदेन सिंचाई राजस्व निरीक्षक जो बिहार राज्य के लिए 12 अप्रैल, 2007 को विरमित होने के पाँच वर्षों के बाद अनधिकृत अनुपस्थिति फरवरी 2006 से मार्च 2007 कुल 14 महीनों का भुगतान कुल रूपया 1,25,535/- वर्ष 2012 में किया गया ।

आरोप सं०-4. श्री मनोज कुमार चौधरी का वर्ष 2000 से 2005 तक का वेतन वृद्धि की अनियमित स्वीकृति दी गई। श्री मनोज कुमार चौधरी का छठे वेतनमान का निर्धारण करते हुए बिना विभाग/जिला लेखा कार्यालय से सम्पुष्टि कराये अनियमित भुगतान किया गया। श्री चौधरी का 15000/- रूपये का भविष्य निधि के अस्थायी अग्रिम का समायोजन किए बिना बिहार राज्य के लिए विरमित किया गया ।

आरोप सं०-5. श्री बिरजू राम सेवानिवृत्त संग्राहक का 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 (सेवानिवृति की तिथि) तक बिना विभाग की स्वीकृति लिए कर्त्तव्य वेतन मानते हुए अनधिकृत अवकाश पर कुल 3,50,400/- रूपये का भुगतान किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4188, दिनांक 8 मई, 2015 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्री झा द्वारा अपने पत्रांक-जी०पी०एफ०- 894/भ०नि०, दिनांक 13 मई, 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5983, दिनांक 7 जुलाई, 2015 द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी । जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5936, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-564, दिनांक 22 जनवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-508, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें इनके विरूद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

इसी दरम्यान, श्री झा के पत्रांक-2353/भ०नि०, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा एक Rejoinder समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी तथा विभागीय पत्रांक-6846, दिनांक 6 जून, 2017 द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से इस पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3827, दिनांक 4 सितम्बर, 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि Rejoinder में उन्हीं बातों को दुहराया है, जो उनके द्वारा पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान में कहा गया था । संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि Rejoinder में रखे गये तथ्यों पर विचार किया गया है । साथ ही, संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपवार की गयी समीक्षा एवं मंतव्य से जल संसाधन विभाग सहमत है ।

श्री झा के विरूद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कर्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-10866, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । इसके अनुपालन में श्री झा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पर कोई जवाब नहीं दिया गया । अतः दिनांक 26 नवम्बर, 2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन्हें एक सप्ताह का समय देते हुए जवाब समर्पित करने का आदेश दिया गया तथा यह भी उल्लेख किया गया कि अगर उक्त अवधि तक कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा । फिर भी श्री झा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया ।

अतः श्री विनोद कुमार झा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रभारी उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल-सह-उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, चतरा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 369 -- 50